रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31032021-226263
CG-MH-E-31032021-226263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943
No. 133] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 30 मार्च, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(हामीदार) (निरसन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/15.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 का निरसन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) (निरसन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।

3. इन विनियमों के प्रारंभ से ही, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 निरसित हो जाएंगे तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 के तहत किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बारे में यह समझा जाएगा कि वह प्रमाणपत्र अभ्यर्पित (सरंडर) कर दिया गया है।

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 के निरसित होने से -

   (i) उपरोक्त विनियमों के पूर्व प्रवर्तन अथवा उनके तहत की गई किसी भी बात आदि या न की गई किसी भी बात आदि;

   (ii) उपरोक्त विनियमों के तहत अर्जित या प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व;

(iii) उपरोक्त विनियमों के अनुसार किए गए किसी उल्लंघन या अपराध के संबंध में लगाई गई किसी शास्ति (पेनल्टी) या दिए गए किसी दंड;

(iv) उपरोक्तानुसार किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति (पेनल्टी) या दंड की बाबत किसी अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन), कानूनी कार्यवाही या उपचार,

पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

5. ऐसा कोई अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन), कानूनी कार्यवाही या उपचार किया जा सकेगा, उसे जारी रखा जा सकेगा या उसे लागू कराया जा सकेगा, और ऐसी कोई शास्ति (पेनल्टी) लगाई जा सकेगी या ऐसा कोई दंड दिया जा सकेगा, मानो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 निरसित ही न हुए हों ।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./569/2020-21]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th March, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(UNDERWRITERS) (REPEAL) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/15.—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to repeal the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) (Repeal) Regulations, 2021**.**
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. On and from the commencement of these regulations, the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993 shall stand repealed and the certificate of registration granted to any person under the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993 shall deemed to be surrendered.
4. The repeal of the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993 shall not affect—
   (i) the previous operation of the said regulations or anything done or omitted to be done or suffered therein;
   (ii) any right, privilege, obligation or liability acquired or accrued or incurred under the said regulations;
   (iii) any penalty or punishment incurred in respect of any contravention or offence committed under the said regulations;
   (iv) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty or punishment as aforesaid.
5. Any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty or punishment may be imposed as if the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993 had not been repealed.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./569/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.